भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 76
उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 03 फरवरी, 2025
14 माघ, 1946 (शक)

'एडॉप्ट ए हेरिटेज' योजना

76. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'एडॉप्ट ए हेरिटेज' योजना के दूसरे चरण की शुरूआत कर दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत अपनाने हेतु विचारित रहे विरासत- स्थलों की सूची क्या है;

(ग) अब तक अपनाए गए विरासत स्थलों की सूची क्या है और उन्हें कब अपनाया गया है और इसमें कौन से संगठन/एजेंसियां शामिल हैं; और

(घ) दत्तक ग्रहण संगठन/एजेंसियां द्वारा अपनाए गए स्मारकों हेतु प्रस्तावित संशोधनों की सूची क्या है?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेंद्र सिंह शेखावत)

(क): "एडॉप्ट ए हेरिटेज" कार्यक्रम को पहली बार सितंबर 2017 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। "एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0" नाम से एक संशोधित संस्करण संस्कृति मंत्रालय द्वारा सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यटकों के अनुभव को बढ़ाना और गोद लिए गए स्मारक को पर्यटक अनुकूल बनाने हेतु सीएसआर निधि के माध्यम से संरक्षित स्मारकों में सुविधाएं विकसित/प्रदान कराने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों/ गैर-सरकारी संगठनों/न्यासों/सोसाइटियों आदि के साथ मिलकर एक रूपरेखा तैयार करना है। इन सुविधाओं को चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् स्वच्छता, जिसमें शौचालय, पेयजल, अपशिष्ट प्रबंधन, शिशु देखभाल कक्ष आदि शामिल हैं; पहुंच, जिसमें पथ, निर्बाध पहुंच, बैटरी चालित वाहन, संकेतक, लैंडस्केपिंग, वाई-फाई सुविधा, पार्किंग आदि शामिल हैं; सुरक्षा, जिसमें सीसीटीवी, प्रकाश, प्रदीप्ति􀀀करण, अमानती सामन घर, प्राथमिक चिकित्सा किट आदि शामिल हैं; और ज्ञान, जिसमें प्रकाशन, स्मारिका की दुकानें, सांस्कृतिक/लाइट एंड साउंड शो, एआर/वीआर उपकरण, कैफेटेरिया आदि शामिल हैं।

(ख) और (ग): यह कार्यक्रम सभी संरक्षित स्मारकों के लिए खुला है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, अब तक विभिन्न राज्यों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और साझेदार संस्थाओं के बीच 21 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब तक गोद लिए गए स्मारकों का विवरण **अनुबंध** में संलग्न हैं।

(घ): स्मारकों को गोद लेने वाली संस्था/एजेंसी, को गोद लिए गए स्मारकों की संरचना में किसी प्रकार के बदलाव करने की अनुमति नहीं है। उन्हें केवल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्वीकृति के साथ आगंतुकों के लिए परिभाषित सुविधाएं विकसित करने/प्रदान करने की अनुमति है ताकि आगंतुक अनुभव को बढ़ाया जा सके।

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 03.02.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रशन संख्या 76 के उत्तर के भाग (ख) और (ग) में संदर्भित अनुबंध

"एडॉप्ट ए हेरिटेज-2.0" कार्यक्रम के अंतर्गत भागीदार संस्थाओं द्वारा गोद लिए गए संरक्षित स्मारकों की सूची

क्र.सं.	स्मारक/स्थल/संग्रहालय	राज्य	भागीदार संस्था	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तिथि
1.	आगरा किला, आगरा	उत्तर प्रदेश	इज माई ट्रिप फाउंडेशन	12.3.2024
2.	महरौली पुरातत्व पार्क, दिल्ली	दिल्ली	सभ्यता फाउंडेशन	12.3.2024
3.	बौद्ध स्तूप, केसरिया, चंपारण	बिहार	आईडीडी व्यापार परिषद	12.3.2024
4.	सफदरजंग मकबरा, दिल्ली	दिल्ली	सभ्यता फाउंडेशन	12.3.2024
5.	पश्चिमी मंदिर समूह, खजुराहो	मध्य प्रदेश	ईज़ माई ट्रिप फ़ाउंडेशन	12.3.2024
6.	कैलासनाथ मंदिर, कांचीपुरम	तमिलनाडु	चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	12.3.2024
7.	सूर्य मंदिर, कोणार्क	ओडिशा	ईज माई ट्रिप फाउंडेशन	12.3.2024
8.	एलीफेंटा गुफाएं, घरापुरी	महाराष्ट्र	महेश एंटरप्राइजेज और इंफ्रा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	12.3.2024
9.	अपर फोर्ट अगुआडा, गोवा	गोवा	दृष्टि लाइफ सेविंग प्राइवेट लिमिटेड	12.3.2024
10.	पुराना किला, दिल्ली	दिल्ली	सभ्यता फाउंडेशन	12.3.2024
11.	कुतुब मीनार, दिल्ली	दिल्ली	ईज़ माई ट्रिप फ़ाउंडेशन	12.3.2024
12.	हुमायूं का मकबरा, दिल्ली	दिल्ली	सभ्यता फाउंडेशन	12.3.2024
13.	जंतर मंतर, दिल्ली	दिल्ली	पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	12.3.2024
14.	हौज खास स्मारक समूह, दिल्ली	दिल्ली	टाटा पावर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	12.3.2024
15.	उग्रसेन की बावली, दिल्ली	दिल्ली	ज़ी आकाश	12.3.2024
16.	दिल्ली गेट, दिल्ली	दिल्ली	रेडटेप लिमिटेड	2.7.2024
17.	कश्मीरी गेट से मोरी गेट, दिल्ली	दिल्ली	रेडटेप लिमिटेड	2.7.2024
18.	भीमबेटका के रॉक शेल्टर	मध्य प्रदेश	एचईजी लिमिटेड	2.7.2024
19.	अजमेरी गेट, दिल्ली	दिल्ली	रेडटेप लिमिटेड	27.8.2024
20.	मदरसा महमूद गवन, बीदर	कर्नाटक	शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस	27.8.2024
21.	पुरातत्व स्थल संग्रहालय, हम्पी	कर्नाटक	जेएसडब्ल्यू लिमिटेड	18.11.2024

*****